

**न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर जिला अजमेर**  
**खाद्य सुरक्षा अधि० अपील सं. 09/2017**

कमलेश पुत्र स्व० मोहन सिंह जाति कोली, निवासी गुर्जर धरती, मकान नं० 1286/34,  
दीप पान भण्डार के पास, अजमेर।  
.....अपीलार्थी

**बनाम**

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला-अजमेर (राज०)

.....प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013**

**आदेश**

दिनांक - 23.08.2017

अपीलान्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर की जांच एवं आयुक्त नगर निगम, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 27.10.2016 (क्रम संख्या 85) द्वारा आय अधिक होने के आधार पर अपील खारिज की गई है जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय मूल रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील अनुसार कोई ठोस साक्ष्य एवं आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। अतः अपील, अपीलान्त खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.08.2017 को सरे इजलास में पढ़ाया गया।

(गौरव गोयल)  
जिला कलक्टर(रसद)  
अजमेर

